न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.
जी.सी.एम.एस.:– 2014/00213
अपील संख्या :– 18/2014

1. सुआ लाल पुत्र भागीरथ
2. लादूराम पुत्र भागीरथ
3. पूरणमल पुत्र भागीरथ
4. कल्याण पुत्र भागीरथ
5. ईश्वरी लाल पुत्र भागीरथ
6. समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम सांगावाला तह0 आमेर जिला जयपुर।

– – –प्रार्थी/अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी भौरी लाल उर्फ भंवर लाल उर्फ भूराराम, जाति रैगर, निवासी ग्राम सांगावाला, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत छापराडी तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – –अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स

अपील तहत धारा 75 रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 72 दिनांक 5.1.2013 ग्राम पंचायत छापराडी, पंचायत समिति आमेर जिला जयपुर

निर्णय दिनांक 19.02.2021

प्रकरण के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स के पिता व मृतक भौरी लाल उर्फ भंवर लाल उर्फ भूरामल के पिता गणेश आपस में सगे भाई थे, अपीलान्ट के ताऊ गणेश के पुत्र भंवर लाल के कोई पुत्र या पुत्री संतान नहीं थी, इसलिए भंवर लाल पुत्र गणेश ने दिनांक 28.12.2002 को बेमौजूदगी गवाहान बल्लुराम पुत्र सादूराम गुर्जर व सुरज्ञान पुत्र रामचन्द्र गुर्जर, निवासी ग्राम लदाना के समक्ष प्रार्थीगण/अपीलान्टस की सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति का अपनी मृत्यु के पश्चात् किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो इालिए प्रार्थीगण सुआ लाल, लादूराम, पूरण, कल्याण, ईश्वरी लाल पुत्रान भागीरथ के हक में वसीयत करते हुए 100/–रूपये के स्टाम्प व दो पाईप पेपरों पर अपनी स्वस्थ चित अवस्था में बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से वसीयतनामा

निष्पादित कर दिया। भंवर लाल पुत्र गणेश जो कि प्रार्थीगण के ताऊ लड़के भाई लगते है द्वारा प्रार्थीगण के हक में की गई वसीयत अंतिम वसीयत है। अपीलान्ट्स के हक में मृत्तक भौरी लाल उर्फ भंवर लाल द्वारा निष्पादित की गई वसीयत अंतिम वसीयत रही हैं, जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट सं0 1 को भी शुरू ये रही है व यही नहीं उक्त वसीयत को आज दिवस तक किसी भी सक्षम अदालत द्वारा या स्वयं मृतक भौरीलाल द्वारा अपनी जीवित अवस्था में कभी भी निरस्त नहीं किया। भौरी लाल की दिनांक 16.1.2003 को मृत्यु हो जाने से अपीलान्ट्स जो कि मृतक भौरी लाल के वसीयती वारिसान है ने ग्राम लदाना पटवार हल्का छापराडी गिरदावर सर्किल चन्दवाजी जिला जयपुर में स्थित मृतक भौरी लाल की भूमि आराजी ख0नं0 174 लगायत 179 किता 6 का कुल रकबा 1.60 हैक्टे0 की खातेदारी वसीयत के अनुसार अपने नाम दर्ज करवाने हेतु व वसीयत से अपने हक में नामान्तकरण खुलवाने हेतु रेस्पोडेन्ट सं0 2, 3 व स्वयं पटवारी हल्का छापराडी को लिखित में आवेदन भी प्रस्तुत किया, किन्तु तत्पश्चात् भी रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ने वसीयत को नजरअन्दाज कर वसीयती वारिसान के मौजूद रहते हुये भी मृतक भौरी लाल की ग्राम लदाना स्थित भूमियों का फौती नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में अवधि पूर्ण रूप से खोल दिया, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है।

अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 72 विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। मृतक भौरी लाल उर्फ भंवर लाल पुत्र गणेश ने अपनी जीवित अवस्था में स्वस्थ चित्त अवस्था में बेमौजूदगी गवाहान बल्लूराम पुत्र सादूराम व सुरज्ञान पुत्र रामचन्द्र अपीलान्ट के हक में 100/—रूपये के स्टाम्प पर व दो पाईप पेपर पर अपनी प्रथम व अंतिम वसीयत लिखित रूप में निष्पादित की जो वसीयत मृतक भौरी लाल की अंतिम वसीयत रही है। जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट सं0 1 व स्वयं सरपंच ग्राम पंचायत छापराड़ी तथा पटवारी हल्का छापराडी को रही हैं। किन्तु तत्पश्चात् भी रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने भौरी लाल जी की मृत्यु वर्ष 2003 में ही हो चुकने उपरान्त 10 वर्ष पश्चात भौरी लाल की ग्राम लदाना की भूमियों आराजी ख0नं0 174 से 179 किता 6 का कुल रकबा 1.60 हैक्टे0 भूमि का फौती नामान्तकरण 72 दिनांक 5.1.2013 अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर तस्दीक किया है जो नामान्तकरण विधि के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी हिन्दू द्वारा अपने जीवन काल में किसी व्यक्ति के हक में वसीयत निष्पादित कर दी जाती है तो उस हिन्दू की मृत्यु उपरान्त उस व्यक्ति की सम्पत्ति वसीयती उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है, ना कि उन हिन्दू उत्तराधिकारीयों को जो धारा 8 में वर्णित है। मृतक भौरी लाल ने भी अपनी स्वअर्जित सम्पत्तियों की प्रथम व अंतिम वसीयत प्रार्थी/अपीलान्टस के हक में वर्ष 2002 में निष्पादित कर दी थी, जिसकी जानकारी स्वयं रेस्पोडेन्ट सं0 1 को रही है, जिस कारण ही भौरी लाल की मृत्यु वर्ष 2003 में हो जाने के उपरान्त भी जनवरी 2013 तक मृतक भौरी लाल की पत्नी रेस्पोडेन्ट सं0 1 के हक में भौरी लाल की सम्पत्तियों का नामान्तकरण तस्दीक नहीं हुआ। किन्तु अब जमीनों की बाजारू कीमतों में वृद्धि हो जाने से रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने रेस्पोडेन्ट सं0 2 व पटवारी हल्का छापराडी व गिरदापर हल्का छापराडी को अपने असम्यक प्रभाव में लेकर मृतक भौरी लाल के वसीयती वारिसान की जानकारी रखते हुए भी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पूरणमल अपीलाधीन नामान्तकरण अपने हक में खुलवा लिया जिसे नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट सं0 2 को पूरणमल अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 72 तस्दीक करने में अहम भूल की है जो निरस्तनीय हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान निर्वसियत हिन्दू के उत्तराधिकारयों के संदर्भ में है ना कि वसीयत हिन्दू के बारे में। उक्त विधिक तथ्यों की जानकारी रखते हुये भी रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने रेस्पोडेन्ट सं0 1 के हक में मृतक भौरी लाल की ग्राम लदाना स्थित सम्पतियों बाबत जो नामान्तकरण सं0 72 तस्दीक किया है, वह विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय हैं।

रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 72 रेस्पोडेन्ट सं0 1 के हक में तस्दीक किये जाने से पूर्व ही अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट सं0 2 व रेस्पोडेन्ट सं0 3 व रेस्पोडेन्ट सं0 3 के अधिनस्थ कर्मचारियों को मृतक भौरी लाल की सम्पत्तियों का अपने हक में नामान्तकरण तस्दीक किये जाने हेतु लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर दिये थे, जिस कारण रेस्पोडेन्ट सं0 2 व रेस्पोडेन्ट सं0 3 के अधिनस्थ कर्मचारियों पटवारी हल्का/गिरदावर हल्का का यह दायित्व हो गया था कि वे रेस्पोडेन्ट सं0 1 के आवेदन पर मृतक भौरी लाल की सम्पत्तियों बाबत नामान्तकरण तस्दीक किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर उक्त आवेदन को धारा 135(2) के तहत दर्ज कर आपत्ति नोटिस जारी करते व अपीलान्टस को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करते, किन्तु तत्पश्चात् भी रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने उक्त नामान्तकरण को धारा 135(2) एल.आर. एक्ट के तहत रेस्पोडेन्ट सं0 3 के पास भेज कर दर्ज कर, जांच

करने के आदेश पारित नहीं कर अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 72 रेस्पोडेन्ट सं0 1 के हक में खोलने में अहम भूल की है जो निरस्तनीय है।

अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 72 दिनांक 5.1.2013 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 के हक में रेस्पोडेन्ट सं0 2 द्वारा तस्दीक किये जाने की पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही थी, स्वयं अपीलान्टस ने दिनांक 9.1.2013 को मृतक भौरी लाल की खातेदारी भूमियों की जमाबंदी दिनांक 9.1.2013 को प्राप्त की उसमें भी इस आशय का कोई नोट अंकित हुआ नहीं पाया, जिसके आधार पर अपीलान्ट ने पुनः दिनांक 21.1.2013 को शिविर प्रभारी प्रशासन गांवों के संग 2013 अभियान के तहत अपने हक में मृतक भौरी लाल की सम्पत्तियों का नामान्तकरण अपने हक में तस्दीक करवाने हेतु आवेदन पेश किया, किन्तु तत्पश्चात् भी अपीलान्टस के हक में ना तो मृतक भौरी लाल की सम्पत्तियों का नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया गया, ना ही उक्त भूमियों बाबत रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 व पटवारी हल्का ने अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 72 की कोई जानकारी अपीलान्ट को प्रदान की। दिनांक 27.5.2014 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने ग्राम लदाना स्थित मृतक भौरी लाल की सम्पत्ति कृषि भूमि ख0 नं0 174 से 179 कुल किता 6 का कुल रकबा 1.60 हैक्टे0 पर आकर कुछ अजनबी व्यक्तियों को उक्त भूमियों को बेचान करने की कुचेष्टा से लाकर दिखलाने लगी व अपीलान्ट को ऐलानियां धमकी दी कि उसने तो भौरी लाल की सम्पत्ति अपने नाम करवा ली हैं तथा अब शीघ्र ही वह भू–माफियाओं को जमीन बेचकर अपीलान्ट को मौके से बेदखल करवायेगी, जिस पर ही अपीलान्टस को रेस्पोडेन्ट सं0 1 के हक में भौरी लाल की सम्पत्ति नाम हो जाने की जानकारी हुई, जिस पर ही अपीलान्टस सं0 4 ने दिनांक 27.5.2014 को पटवारी हल्का से सम्पर्क कर जानकारी की तो उसे सर्वप्रथम अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 72 की जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर अपीलान्टस ने अपीलाधीन नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु आवेदन दिनांक 28.5.2014 को प्रस्तुत किया, जिस पर प्रमाणित प्रति दिनांक 3.6.2014 को प्राप्त कर अधिवक्ता से विधिक सलाह प्राप्त कर अपीलाधीन नामान्तकरण के विरूद्ध ईल्म से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है, जिसे स्वीकार फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अपीलान्टस अपील ईल्म से अन्दर मियाद पेश हैं, जिसे प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किये जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

अतः यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 72 दिनांक 5.1.2013 विधि के सिद्धान्तों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त

फरमाया जाकर मृतक भौरी लाल की सम्पत्ति कृषि भूमि ख0नं0 174 से 179 कुल 6 का कुल रकबा 1.60 हैक्टे0 भूमि स्थित वाके ग्राम लदाना, ग्राम पंचायत छापराड़ी, तहसील आमेर जिला जयपुर का अपीलान्टस के हक में वसीयत के अनुक्रम में नामान्तरण खोले जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील अपीलान्ट्स दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलवी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 की ओर से श्री राचन्द्र अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 से अपीलाधीन नामान्तरण पत्रावली रिकॉर्ड मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत छापराडी तहसील आमेर से नामान्तकरण सम्बन्धी रिकॉर्ड दिनांक 10.11. 2017 को प्राप्त हुआ। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 तहसीलदार आमेर से मूल नामान्तकरण संख्या दिनांक 5.11.2003 की प्रति दिनांक 27.5.2016 को प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 8.7.2016 को जवाब प्रार्थना–पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का पेश कर अंकन किया है कि अपील का पेरा नम्बर 1 में अंकन गलत होने से अस्वीकार है नामान्तरण संख्या 2 हिन्दू उतराधिकार के अनुरूप तस्दीक किया गया है। भौरीलाल की एक मात्र वारिस मिन रेस्पोडेन्ट थी।

यह है कि प्रार्थना–पत्र का पेरा नम्बर 2 मे अंकन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण अपने पति की सम्पति पर प्रारम्भ से ही काबिज चली आयी है दिनांक 27.05.2014 के तथ्य झूठे व बनावटी लिखे गये है। नामान्तरण की अपील तीस दिवस में प्रस्तुत की जाने परिसीमा होती है। अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 04.02.2013 को ही समाप्त हो गई है। अपीलान्ट मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है। दिनांक 05.01.2013 से अपील प्रस्तुत किये जाने की अवधि के एक–एक दिन की देरी का कारण स्पष्ट करना होता है कि जबकी अपीलान्टस ने अपील में कोई स्पष्टीकरण किया गया है। जब अपीलार्थीगण को इस बात की जानकारी थी कि उनके पक्ष में तथाकथित वसीयत भौरीलाल के द्वारा की हुई है तो वर्ष 2003 में भौरीलाल की मृत्यु के पश्चात से लगातार 10 वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं स्वयं अपीलार्थीगण के कथन के अनुसार दिनांक 09.01.2013 को नकल प्राप्त की गई एवं दिनांक 31.01.2013 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में उपस्थित होकर आवेदन किया जाना बताया है तो उस दिन राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज हो चुका था। तो उसके तुरंत पश्चात कार्यवाही क्यों नहीं कि 2013 से लेकर अपील प्रस्तुत किए जाने तक किसके इंतजार में बैठे रहे। इस प्रकार अपीलार्थीगण ने जानबूझ कर जानकारी होते हुए भी देरी से अपील प्रस्तुत की है। इस कारण लिमिटेशन से बाहर से अपील होने के

कारण अपील खारिज किए जाने योग्य है। जवाब के समर्थन में शपथ पत्र पेश कर अपील हर्जे खर्चे के खारिज फरमायी जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा क्रॉस ऑब्जेक्शन का जवाब अपीलांट सुआलाल वगै0 ने जरिये अभिभाषक के दिनांक 10.01.2017 को जवाब पेश कर निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा दिनांक 08.01.2016 को क्रॉस आब्जेक्शन प्रार्थना–पत्र पेश में अंकित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है यदि कोई हिन्दू अपनी मृत्यु से पूर्व अपना वसीयती वारिस नियुक्त कर देता है तो वसीयत अनुसार मृतक हिन्दू की सम्पति वसीयती वारिस को प्राप्त होती है ना कि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार मृतक के विधिक प्रतिनिधि को स्व0 भौरीलाल उर्फ भंवरलाल उर्फ भूरामल पुत्र गणेश ने अपनी मृत्यु से अपनी भूमि की वसीयत प्रार्थी अपीलान्ट के हक में निष्पादित की जिस के विपरित जाकर अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 72 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में विधि विरूद्ध रूप से निष्पादित जिसका विधि की दृष्टि में कोई महत्व नहीं रह जाता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में विधि विरूद्ध रूप से खुले नामांकरण संख्या 72 से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

अपीलान्ट के हक में भौरीलाल उर्फ भंवरलाल उर्फ भूरामल ने दिनांक 28.12.2002 को बैमोजूदगी गवाहान बल्लूराम, सूरजमल गुर्जर अपनी समस्त चल अचल सम्पति की वसीयत अपीलान्ट के हक में निष्पादित की जिसकी जानकारी स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बराय बदनियती अपने पति भौरीलाल उर्फ भंवरलाल उर्फ भूरामल द्वारा मन अपीलान्ट के हक में निष्पादित वसीयत की जानकारी रखते हुए अपने हक में विधि विरूद्ध से नामान्तरण संख्या 72 संबंधित कर्मचारियों से साज कर खुलवाया है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। मद संख्या 3 में अंकित वर्णित तथ्य गलत होने पर अस्वीकार है। पूर्ण रूपेण अमल है। अपीलान्ट के हक में निष्पादित वसीयत बाबत् सक्षम न्यायालय से प्रोबेट प्राप्त किया जाना कतई आवश्यक नहीं है। शेष मद 4 लगायत 7 में वर्णित तथ्य भी अस्वीकार है। अपीलाधीन नामान्तरण की जानकारी होते ही जानकारी के समय से अंदर मयाद अपीलाधीन नामान्तरण की अपील न्यायालय के समक्ष पेश की है जो कतई मयाद बाहर नहीं है अतः अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 72 को निरस्त कर अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमावे।

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा दिनांक 18.04.17 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 9 व 80 व धारा 84 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने कानूनी नजीर

आर.आर.टी. 2006 (2) पेज 939 व आर.आर.डी. 1994 पेज 11 की प्रति पेश की है। प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट का स्वीकार किया जाता है। दिनांक 26.3.19 को प्रार्थना पत्र धारा 151 जाप्ता दीवानी की बहस सुनी गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने प्रार्थना पत्र के संबंध में लिखित बहस व कानूनी नजीर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 72 को ग्राम पंचायत द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप तस्दीक किया गया है जो विधि अनुरूप है। अतः कानूनी नजीर की रोशनी में प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी खारिज किया गया है तथा अपील प्रार्थना पत्र की अंतिम बहस सुनी जाने हेतु दिनांक 3.9.19 नियत की गई।

प्रकरण में नियत बहस दिनांक 3.9.19 को अन्य राजकार्य में व्यस्त रहने के कारण दिनांक 17.9.19 नियत की गई। दिनांक 24.9.19 को अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी तथा लिखित बहस पेश की जो रिकॉर्ड पर ली गई तथा अपीलान्ट अभिभाषक की बहस सुनी जाने हेतु दिनांक 1.10.19 निश्चित की गई। दिनांक 1.10.19 से 3.12.19 तक अन्य राजकार्य में व्यस्त रहने के कारण बहस नहीं सुनी गई। दिनांक 3.12.19 को प्रार्थी अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर इस्दुआ की है कि नामान्तकरण सं0 72 के संबंध दस्तावेजात यथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत कार्य करने व किये गये कार्य की परिश्रम राशि प्राप्त करने के प्रमाण पत्र, निर्वाचन आयोग की मतदाता सूचियां आदि को रिकॉर्ड में लिया जाकर अपील प्रार्थना पत्र निर्णित किया जावें। रेस्पोडेन्ट सं0 1 के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 10.12.19 को पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्य अस्वीकार कर जवाब में अंकन किया है कि प्रार्थना पत्र के सभी बिन्दू बिल्कुल गलत है ऐसे फोटो प्रति एवं तैयार किये गये दस्तावेजों के रिकॉर्ड पर लिए जाने से प्रतिकूल असर पड़ना स्वाभाविक है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत कर निवेदन है कि जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हैवी कॉस्ट के साथ खारिज फरमाया जावें। दिनांक 27.1.2021 को प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पर विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया गया।

हमने प्रकरण की अंतिम बहस दिनांक 10.2.2021 को विद्वान अधिवक्तागण की सुनी गयी। अपीलान्ट अधिवक्ता ने तर्क किया कि वसीयत का पंजीयन आवश्यक नहीं है एवं वसीयत आज तक निरस्त नहीं करवायी है ना कभी इसे चुनौती दी गयी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत

वसीयत ग्रह्यता को वसीयत से प्राप्त सम्पति का अधिकार है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जावें।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने बहस में तर्क किया कि वसीयत भंवरलाल ने की है न कि भौरीलाल ने की है। राजस्व रिकॉर्ड में भौरीलाल दर्ज है। सन् 2003 में भौरीलाल की मृत्यु उपरान्त वसीयत के आधार पर नामान्तकरण की कार्यवाही हेतु पेश दस्तावेज ग्रहणीय नहीं है क्योंकि इस पर किसी अधिकारी की पावती नहीं है। इसे मृत्यु के 10 वर्ष पश्चात पेश किया है। वसीयत में वसीयतकर्ता गवाह की केवल अंगुठा निशानी है न ही कोई तारीख अंकित है। संदेहास्पद दस्तावेज है जिसकी आदिनांक तक मूल प्रति पेश नहीं की है। यह पैतृक सम्पति है। वसीयत को सक्षम न्यायालय में प्रोबेट कराने की कार्यवाही करावें। अतः अपील अपीलान्ट् खारिज फरमायी जावें।

हमनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपील के सम्बन्ध में नामान्तरकरण के निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत वसीयत संदेहास्पद है जिसमें कोई तिथि अंकित नहीं है, न ही अपीलान्ट ने न्यायालय में इसकी मूल प्रति पेश की है, वसीयत पर वसीयतकर्ता व गवाहों के केवल अंगूठा निशानी मात्र है एक अन्य हस्ताक्षर भी है जिस पर कोई पता अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त वसीयत में वर्णित भूमि वसीयतकर्ता की पैतृक भूमि है जिसकी मृत्यु उपरान्त नियमानुसार ग्राम छापराडी नामान्तकरण संख्या 72 दिनांक 05.01.2013 उनके विधिक वारिसान उसकी पत्नी के नाम तस्दीक किया गया है जिसको निरस्त किया जाना उचित नहीं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया।

आदेश आज दिनांक **19.02.2021** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।